तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1563/2005/डूंगरपुर गौतम बनाम रघु	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0–1

निर्णय

दिनांक 29.03.2019

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में ग्राम गडानाथ जी स्थित आराजी खसरा नम्बर 111/1224 रकबा 06बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26–10–1958 को आंवटित की गयी। इस आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12–06–2003 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 08–02–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1563/2005/डूंगरपुर गौतम बनाम रघु	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि दिनांक 3–10–2002 को ग्राम पंचायत ने विवादित आराजी का मौका देखा, उस मौके पर्चे से विवादित आराजी पर अपीलार्थी के पिता के समय से कब्जा साबित है तथा आवंटी प्रत्यर्थी का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा, ना ही उसके द्वारा काश्त की गयी। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 25/1999 मे नायब तहसीलनदार ने दिनांक 28–2–2002 को पर्चा मौका बनाया, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या–1 का कब्जा होना नहीं पाया गया। उनका कथन है कि विवादित आराजी अपीलार्थी की कब्जेशुद्धा भूमि होने से आवंटन योग्य नहीं थी। उनका कथन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से उसके पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन नियमानुसार उनके पक्षकार के पक्ष में किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1563/2005/डूंगरपुर गौतम बनाम रघु	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है कि आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की गयी है तथा उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के आवंटन उपरान्त उनके पक्षकार द्वारा आवंटित रकबे पर काश्त की है तथा आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी भी आवंटी को प्राप्त हो चुके है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में ग्राम गडानाथ जी स्थित आराजी खसरा नम्बर 111/1224 रकबा 06बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26–10–1958 को आंवटित की गयी। प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में पारित आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) वर्ष 2002 में 44 वर्ष उपरान्त अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ना ही आवंटन उपरान्त आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1563/2005/डूंगरपुर गौतम बनाम रघु	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं आवंटन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	